बिहार सरकार
मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग

सं० – मं०मं०–01/मंत्रिपरिषद–17/2011.............पटना–15, दिनांक................., 2011

संकल्प

विषय – मानव विकास से संबंधित लक्ष्यों एवं संगत कार्यक्रमों के पर्यवेक्षण एवं समीक्षा हेतु राज्य स्तरीय अनुश्रवण समिति का गठन।

मानव विकास से संबंधित लक्ष्यों एवं संगत कार्यक्रमों का उद्देश्य राज्य के नागरिकों के चहुँमुखी विकास के साथ–साथ उन्हें गरिमापूर्ण जीवन शैली उपलब्ध कराना है। इन कार्यक्रमों के तहत सभी के लिए स्वास्थ्य सुविधायें, पोषाहार, गुणात्मक शिक्षा, कौशल विकास, जीवन शैली, स्वच्छ पेयजल एवं शौचालय, सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था की जानी है। साथ ही इनके कार्यान्वयन में महादलित, पिछड़ों/अति पिछड़ों/अनुसूचित जाति/जनजाति तथा अल्पसंख्यक वर्गों के कल्याण पर विशेष ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है। इसके अलावा मानव विकास के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में क्रीड़ा संबंधी गतिविधियों का विकास भी वांछनीय है। राज्य सरकार तकनीकी शिक्षा के विकास के साथ–साथ सुदूर क्षेत्रों में सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से कार्य प्रणाली में गतिशीलता एवं पारदर्शिता लाकर समृद्ध एवं प्रफुल्लित बिहार की परिकल्पना को साकार करने के लिए भी प्रतिबद्ध है।

2 (क) उपर्युक्त आलोक में मानव विकास से संबंधित लक्ष्यों तथा संगत कार्यक्रमों के समुचित पर्यवेक्षण एवं समीक्षा हेतु निम्न प्रकार से राज्य स्तरीय अनुश्रवण समिति का गठन करने का निर्णय लिया गया है –

I	मुख्यमंत्री	–	अध्यक्ष
II	उप मुख्यमंत्री	–	सदस्य
III	मंत्री, मानव संसाधन विकास	–	सदस्य
IV	मंत्री, स्वास्थ्य	–	सदस्य
V	मंत्री, समाज कल्याण	–	सदस्य
VI	मंत्री, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग	–	सदस्य
VII	मंत्री, अनु०जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण	–	सदस्य
VIII	मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण	–	सदस्य
IX	मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण	–	सदस्य
X	मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा	–	सदस्य
XI	मंत्री, विज्ञान एवं प्रावैधिकी	–	सदस्य
XII	मंत्री, योजना एवं विकास	–	सदस्य
XIII	मंत्री, श्रम संसाधन	–	सदस्य
XIV	मंत्री, सूचना एवं जन संपर्क	–	सदस्य
XV	मंत्री, सूचना प्रावैधिकी	–	सदस्य

(ख) मुख्य सचिव राज्य अनुश्रवण समिति के सचिव होंगे।

(ग) उपर्युक्त उप कंडिका (क) से संबंधित विभागों के प्रधान सचिव/सचिव राज्य अनुश्रवण समिति की बैठकों में समिति के सहायतार्थ उपस्थित रहेंगे।

(घ) मानव विकास संबंधी राज्य स्तरीय अनुश्रवण समिति को सचिवालीय सहायता मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग द्वारा उपलब्ध करायी जाएगी।

(ङ) उपर्युक्त राज्य स्तरीय अनुश्रवण समिति मानव विकास के लक्ष्यों तथा संगत कार्यक्रमों (संलग्न परिशिष्ट के अनुसार) की कार्य योजना हेतु दिशा–निदेश देगी तथा उसकी प्रगति की समीक्षा करेगी।

आदेश – आदेश दिया जाता है कि इसे "बिहार गजट" में प्रकाशित कराया जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/–
(रविकान्त)
सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक – मं०मं०–01/मंत्रिपरिषद–17/2011............पटना–15, दिनांक................, 2011

प्रतिलिपि – अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को (सी०डी० एवं दो हार्ड कॉपी के साथ) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
(रविकान्त)
सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक – मं०मं०–01/मंत्रिपरिषद–17/2011............पटना–15, दिनांक................, 2011

प्रतिलिपि – माननीय मुख्यमंत्री के सचिव/मा० उप मुख्यमंत्री–सह–वित्त मंत्री के आप्त सचिव/सभी संबंधित माननीय मंत्री के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
(उपेन्द्र कुमार)
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक – मं०मं०–01/मंत्रिपरिषद–17/2011............पटना–15, दिनांक................, 2011

प्रतिलिपि – मुख्य सचिव, बिहार/विकास आयुक्त, बिहार/प्रधान सचिव/सचिव, वित्त विभाग/मानव संसाधन विकास विभाग/स्वास्थ्य विभाग/समाज कल्याण विभाग/पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग विभाग/अनु०जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग/अल्पसंख्यक कल्याण विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/कला, संस्कृति एवं युवा विभाग/विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग/योजना एवं विकास विभाग/श्रम संसाधन विभाग/सूचना एवं जन संपर्क विभाग/सूचना प्रावैधिकी विभाग को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
(उपेन्द्र कुमार)
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक – मं०मं०–01/मंत्रिपरिषद–17/2011 1456 पटना–15, दिनांक 29/9/ 2011

प्रतिलिपि – सभी प्रधान सचिव/सचिव, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

29/9/11
(उपेन्द्र कुमार)
सरकार के अपर सचिव
28/9/11

E:\Little\pandey ji.doc

मानव विकास से संबंधित लक्ष्य एवं संगत कार्यक्रम

1. **स्वस्थ्य बिहार**

- शिशु मृत्यु दर
- मातृत्व मृत्यु दर
- औसत आयु
- टीकाकरण
- लिंगानुपात
- प्रजनन दर
- नई पीढ़ी, स्वास्थ्य गारंटी योजना

2. **चिकित्सक : आबादी अनुपात**

- चिकित्सक की उपलब्धता (आबादी के अनुपात में)

3. **शैक्षणिक सुधार**

- विद्यार्थी – शिक्षक अनुपात
- विद्यार्थी – वर्ग कक्ष अनुपात
- मध्याह्न भोजन
- शौचालय की सुविधा
- पेयजल की सुविधा
- सबला कार्यक्रम का आच्छादन
- पाठ्य पुस्तकों का वितरण
- पोशाक योजना (वर्ग viii तक सभी वर्ग IX से XII तक बालिकाओं)
- साईकिल योजना (बालक एवं बालिका)
- विद्यालय से बाहर के बच्चों की संख्या
- विद्यालय से छात्रों का छीजन

4. **छात्रवृत्ति एवं मेधावृत्ति**
5. **पिछड़ा वर्ग / अल्प संख्यक / अनुसूचित जाति / जनजाति वित्तीय निगमों द्वारा वित्त पोषण**
6. **महादलित विकास मिशन के कार्यक्रम**
7. **सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम**
8. **पोषाहार कार्यक्रम**
9. **स्वच्छ पेयजल एवं शौचालय (स्वच्छता संबंधी कार्यक्रम)**
10. **कौशल विकास**
11. **खेल कूद**

- स्टेडियम का निर्माण

12. **जन साधारण को सुविधाएँ**

- वसुधा केन्द्र